

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-09/न0वि0(अधि0)-03/2025

13053

पटना, दिनांक-24/12/25

विभागीय संकल्प संख्या-6234, दिनांक-03.06.2025 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा पूर्व से गठित अरवल आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को "अरवल जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार" के रूप में नामित करते हुए इसका पुर्नगठन निम्नवत किया जाता है :-

- (क) जिला पदाधिकारी, अरवल — अध्यक्ष
- (ख) मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन
या उनका प्रतिनिधि — सदस्य
- (ग) चार से अनधिक शहरी स्थानीय निकायों के नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का नाम :-
- (i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी, — सदस्य
नगर परिषद्, अरवल
- (ii) नगर कार्यपालक पदाधिकारी, — सदस्य
नगर पंचायत, कुर्था, अरवल
- (iii) जिला अन्तर्गत अन्य नगरपालिका क्षेत्र अधिसूचित होने पर अन्य 02 नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का सदस्य के रूप में मनोनयन जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा किया जाएगा।
- (घ) पाँच से अनधिक राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले राज्य सरकार के पदाधिकारी :-
- (i) उप विकास आयुक्त, अरवल — सदस्य
- (ii) अपर समाहर्ता (राजस्व), अरवल — सदस्य
- (iii) संबंधित कार्यपालक अभियंता, — सदस्य
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, अरवल
- (iv) संबंधित कार्यपालक अभियंता, — सदस्य
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, अरवल
- (v) संबंधित कार्यपालक अभियंता, — सदस्य
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरवल
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो से अनधिक वैसे व्यक्ति — सदस्य
जिन्हें नगर निवेशन का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो
- (च) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, — सदस्य सचिव
अरवल जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार
2. उपरोक्त उपकंडिका (ङ) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे।

3. इस प्राधिकार के द्वारा अरवल आयोजना क्षेत्र एवं अरवल जिला अन्तर्गत संभावित सभी आयोजना क्षेत्रों का महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। यह प्राधिकार अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
4. अरवल आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के गठन से संबंधित पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-1144, दिनांक-04.03.2023 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा। अरवल आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा पूर्व से किये गये सभी कार्य विधिमान्य होंगे। अरवल आयोजना क्षेत्र प्राधिकार तथा अरवल जिला अन्तर्गत संभावित अन्य आयोजना क्षेत्रों के सभी कार्य अरवल जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा सम्पादित किए जाएंगे।
5. तत्काल नगर परिषद्, अरवल का कार्यालय इस प्राधिकार का कार्यालय होगा।
6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजीव कुमार श्रीवास्तव)

अपर सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-09/न०वि०(अधि०)-03/2025 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-09/न०वि०(अधि०)-03/2025 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना/अध्यक्ष, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-09/न0वि0(अधि0)-03/2025 ¹³⁰⁵³ न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-^{24/12/20}.....

प्रतिलिपि-मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन या उनका प्रतिनिधि, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप विकास आयुक्त, अरवल/अपर समाहर्ता (राजस्व), अरवल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, अरवल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, अरवल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरवल/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अरवल जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


24/12/2025

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग